उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-142/2018/2498/92-2-2018-01टी0ए0सी0/2018,

लखनऊ :: दिनांक:: 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद-पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मेसर्स एन0एल0 कान्स्ट्रक्शन मो0 इनायतगंज द्वारा बनायी गयी बस्ती रोड से दुधिया खुर्द मार्ग की टी0ए0सी0 जांच आख्या में निर्माण कार्य पर समुचित निरीक्षण/पर्यवेक्षण न करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्णकर जांच आख्या (दो प्रतियों में) शासन को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-142/2018/2498(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1193/ग्रा0अ0वि0/पीएमजीएसवाई सेल/पीलीभीत पत्रा0-788/2018-19, दिनांक 19.09.2018 के सन्दर्भ मे इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आगरा।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in